न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 18/2016 जिला दौसा

1. रामराय पुत्र गंगासहाय
2. छोट्या पुत्र गंगासहाय
3. सुरेश पुत्र गंगासहाय
4. पप्पू पुत्र गंगासहाय

समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निासी मोहनपुरा, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. भौरी लाल पुत्र रामकुंवार
2. भूरामल पुत्र रामकुंवार
3. बाबू लाल पुत्र रामकुंवार
4. मोती लाल पुत्र रामकुंवार
5. कल्याणी पत्नि रामकुंवार
6. मु. लाडा देवी पुत्री रामकुंवार

समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण , निवासी मोहनपुरा, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 28.6.2016 बावत रामकुंवार पुत्र रामनाथ की विरासत का नामांतरकरण संख्या 188 ग्रम पंचायत काल्यावास द्वारा दिनांक 5.10.2015 रेस्पोंडेन्ट्स 1 से 5 के नाम तस्दीक किया है ।

प्रति
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित–

1 वकील अपीलान्ट श्री सतीश पारीक
2 वकील रेस्पोंडेन्ट श्री श्री प्रदीप विजय

निर्णय

दिनांक–21.5.2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 28.6.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम मोहनपुरा, तहसील लालसोट, हाल तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर किता 4 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा के खातेदार रामकुंवार पुत्र रामनाथ के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 188 ग्रम पंचायत काल्यावास द्वारा दिनांक 5.10.2015 को भौरी लाल , भूरामल, बाबू लाल , मोती लाल पुत्रान रामकुंवार एवं कल्याणी पत्नि रामकुंवार के नाम तस्दीक किया गया ।

Scanned by CamScanner

रामकुंवार की विरासत के नामांतरकरण संख्या 188 दिनांक 5.10.2015 के खिलाफ अपीलान्ट्स रामराय वगैहरा पुत्रान गंगासहाय द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट क समक्ष प्रस्तुत की , जो उप खण्ड अधिकारी लालसोट के निर्णय दिनांक 28.6.2016 द्वारा अपील पर समस्त अपीलान्ट्स के हस्ताक्षर नहीं होने से खारिज की है,

उक्त अपीलाधीन निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लालसोट दिनांक 28.6.2016 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता उपस्थित । वकील अपीलार्थी लिखित बहस प्रस्तुत करना चाहते हैं । रेस्पोडेन्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता को दिनांक 21.5.2019 से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु कहा गया , लेकिन अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गई ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता रामकुंवार तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 के पति रामकुंवार की विरासत के नामांतरकण संख्या 188 दिनांक 5.10.2015 को ग्रम पंचायत काल्यावास द्वारा मृतक के विधिक वारिसान रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 के नाम तस्दीक किया है जिसमें अपीलान्ट्स का कोई विधिक हक व हिस्सा नहीं बनता है । अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील पर सभी अपीलान्ट्स के हस्ताक्षर नहीं थे, जो विधिक रूप से आवश्यक थे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स की अपील सभी अपीलान्ट्स के हस्ताक्षर नहीं होने के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश से खारिज की है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवाद खातेदार रामकुंवार पुत्र रामनाथ के फौत होने पर उसकी विरासत के नामांतरकरण संख्या 188 जो ग्रम पंचायत काल्यावास द्वारा दिनांक 5.10.2015 को रेस्पोंडेन्ट भौरी लाल , भूरामल, बाबू लाल , मोती लाल पुत्रान रामकुंवार एवं कल्याणी पत्नि रामकुंवार के नाम तस्दीक किये जाने के संबंध में है । उप खण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट्स की अपील अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश द्वारा अपील पर समस्त अपीलान्ट्स के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण खारिज की है ।

Scanned by CamScanner

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील पर अपीलान्ट संख्या 4 पप्पू लाल के एवं अधिवक्ता के हस्ताक्षर अंकित है तथा अभिभाषक पत्र पर अन्य अपीलान्ट्स रामराय व सुरेश की अंगूठा निशानी अंकित की हुई है तथा छोटे लाल व पप्पू लाल के हस्ताक्षर अंकित है । सामान्य न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात् ही विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में निर्णय पारित किया जाना चाहिये था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से केवल अपील पर सभी अपीलान्ट्स के हस्ताक्षर नहीं होने के आधार पर अपील को खारिज किया जाना , उचित एवं विधिसम्यक नहीं है । ऐसी स्थिति में हम उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण उप खण्ड अधिकारी लालसोट को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक समझते हैं । अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लालसोट , जिला दौसा दिनांक 28.6.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner